संख्या-75/2024/459/003-23-9002(002)/9/2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 03 मई, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के विभिन्न जनपदों के 05 चालू कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 05 चालू कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार कुल रू0 32,09,39,000/- (रूपये बत्तीस करोड़ नौ लाख उन्तालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1),लो0वि0नि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	निर्माण लागत/अनुरक्षण लागत/स्वीकृत लागत/प्रावैधिक स्वीकृति	बचत	बचत की उपरांत कार्य की लागत	अब तक आवंटन	प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	8440/CE-HQ1/RIDF26/BAS/2024-25 Dt- 29-04-2024	प्रा.खं. सिद्धार्थ नगर	तेतरी सोहास लोटन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	183/2021/आई/116188-लोक निर्माण अनुभाग-9, दि0 24.11.2021	4199.55 335.06 4534.61 4534.61	18.37	4516.24	3971.16	545.08	210.02
2	8500/CE-HQ1/RIDF28WS/PRJ/2024-25 Dt-30-04-2024	नि.ख.2 फतेहपुर	शिवराजपुर बिन्दकी ललौली मार्ग के किमी 7 से 26(880) तक सुदृढ़ीकरण का कार्य।	105/2023/688/001-23-9002(002)/2/2023, दि0 29.03.2023	2199.22 198.07 2397.29 2397.29	10.12	2387.17	1589.10	798.07	480.00
3	8503/CE-HQ1/RIDF28WS/MBD/2024-25 Dt-30-04-2024	नि.ख. रामपुर	धमौरा रठौण्डा से चिंचौली मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	183/2023/1515(3)/001-23-9-2023-23-9/59/2022, दि0 24.07.2023	2870.02 232.70 3102.72 3102.72	50.57	3052.15	377.51	2674.64	1759.00
4	8503/CE-HQ1/RIDF28WS/MBD/2024-25 Dt-30-04-2024	प्रा.ख. रामपुर	बिलासपुर रूद्रपुर मार्ग से धनौरा मोड़ से पईपुरा गोदी, गुलालपुर, मंगतपुर नानकपुरी चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	178/2023/1264(5)/001-23-9002-002/9/2022, दि0 19.07.2023	1954.19 176.67 2130.86 2130.86	40.73	2090.13	1463.10	627.03	450.36
5	8504/CE-HQ1/RIDF29WS/BAS/2024-25 Dt-30-04-2024	प्रा.ख. संतकबीर नगर	पायलपुर से भुवरिया मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	170/2023/1274(7)/001-23-9002(002)/27/2022, दि0 08-07-2023	2694.45 233.56 2928.01 2928.01	0.00	2928.01	1739.60	1188.41	310.01
									योग	**3209.39**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2023, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति से वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 32,09,39,000 (रुपये बत्तीस करोड़ नौ लाख उनतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043378300 नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु एक मुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या- उपरोक्त एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in